न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु0 नं0 :– 09/2025 तारीख रजू :– 07.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

सुरेश पुत्र धन्ना आयु 50 साल जाति बैरवा निवासी रामपुरा, मोरडा, तसहील बालघाट, जिला करौली (राज0) .

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलैक्टर करौली (राज)
2. तहसीलदार बालघाट, तहसील बालघाट जिला करौली

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत इन्द्राज राजस्व दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थित :– 1. श्री उम्मेदसिंह बैरवा एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 26.02.2026

वाद पत्र संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा, मोरडा के खाता संख्या नया 29 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0 4305 रकवा 0.22 है0 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0 4323 रकवा 0.06 है0, 4324 रकवा 0.22 है0 4225 (4325) रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0, कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 जिसमें वादी 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमावंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त आरजी पर किसी अन्य सहखातेदारों से कोई विवाद सिकी भी प्रकार का नहीं है इसलिए उन्हे मुकदमा में पक्षकार नहीं बनया गया है।

वादी कि पिता की मृत्यु के बाद जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 29 में दर्ज खसरा नम्बर खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0, 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0 4305 रकवा 0.22 है0 4306 रकवा 0.16 है0 4307 रकवा 0.06 है0, 4323 रकवा 0.06 है0 4324 रकवा 0.22 है0, 4325 रकवा 0.66 है0 4326 रकवा 0.60 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2079 है0 का नामान्तकरण खालते समय तहसील कर्मचारियों ने

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गफलत व लापरवाही से वादी के सही नाम **सुरेश पुत्र धन्ना** के स्थान पर **सुन्दर तथा पिता का नाम धन्या** दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज किया है। जबकि वादी का सही नाम **सुरेश तथा पिता का सही नाम धन्ना है,** जिसे दुरूसत किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड, वोटर आई.डी में वादी का नाम सुरेश पुत्र धन्ना है तथा वादी के स्वर्गीय पिता के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में नाम धन्ना दर्ज है, जो पूरी तरह से सही एवं सत्य नाम है।

वादी ने जब बैंक से ऋण लेने हेतु जमाबंदी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास ऋण हेतु पत्रावली बनवाने गया तब जाकर वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादी को गलत इन्द्राज का पता चलते ही वादली दिनांक 28.03.2025 को तहसील बालघाट में गया और तहसीलदार जी बालघाट से राजस्व रिकॉर्ड में हुऐ गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी बालघाट ने राजस्व रिकार्ड में हुऐ उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादी से न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

दावा वादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी ग्राम रामपुरा, मोरडा में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0, 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0, 4305 रकवा 0.22 है0, 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0, 4323 रकवा 0.06 है0 4324 रकवा 0.22 है0 4325 रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0 कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 स्थित ग्राम रामपुरा तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) मे वादी के नाम सुन्दर पुत्र धन्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुरेश पुत्र धन्ना दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त हाल राजस्व रिकॉर्ड, जमावंदी में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार बालघाट) जबाव पेश किया कि जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 29 में दर्ज खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0, 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0, 4305 रकवा 0.22 है0, 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0, 4323 रकवा 0.06 है0 4324 रकवा 0.22 है0 4325 रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0 कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 सुन्दर पुत्र धन्या हि0 1/24 जाति बैरवा सा.ग्राम खातेदार राहिन 1/24 बैक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता धन्या पुत्र छाज्या की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय दिये गये शपथ पत्र वारिसान मे वादी का नाम सुन्दर दिया गया जिसके कारण राजस्व ग्राम राजस्व रामपुरा में विरासत नाम. संख्या 95 स्वीकृत दिनांक 25.08.2024 से वादी का नाम सुन्दर दर्ज हुआ तथा वादी के पिता का नाम पूर्व से ही धन्या दर्ज रिकार्ड था भू0 प्रबन्ध खतौनी बन्दोस्त में खाता संख्या 195 में वादी के पिता का नाम धन्या पुत्र छाज्या नाम दर्ज रिकार्ड है। मौका रिपोर्ट व ग्रामवायियों से पुछताछ करने पर बताया कि वादी का बोलता नाम सुन्दर है एवं वादी के अन्य कागजात में यथा आधारकार्ड पेनकार्ड, बैकपासबुक, राशनकार्ड, पहचान पत्र में सुरेश पुत्र धन्ना दर्ज है। मुताबिक फर्द मौका, एवं उपलब्ध दस्तावेज अनुसार सुन्दर का सही नाम सुरेश है सुन्दर व सुरेश एक ही व्यक्ति का नाम है। गांव में सुरेश का बोलता नाम सुन्दर हैं।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि ग्राम रामपुरा, मोरडा के खाता संख्या नया 29 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0 4305 रकवा 0.22 है0 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0 4323 रकवा 0.06 है0, 4324 रकवा 0.22 है0, 4225 (4325) रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0, कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 जिसमें वादी 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी का नाम **सुन्दर तथा पिता का नाम धन्या** है जबकि सही नाम वादी के सही नाम **सुरेश पुत्र धन्ना** है। जबकि बहस दौराने पैरोकार सरकार द्वारा बताया कि वादी के अन्य कागजात में यथा आधारकार्ड पेनकार्ड, बैक पासबुक,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

राशनकार्ड, पहचान पत्र में सुरेश पुत्र धन्ना दर्ज है। फर्द मौका एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मूल्या का सही नाम सुरेश पुत्र धन्ना है **सुन्दर पुत्र धन्या व सुरेश पुत्र धन्ना** एक ही व्यक्ति है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया ग्राम रामपुरा, मोरडा के खाता संख्या नया 29 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0 4305 रकवा 0.22 है0 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0 4323 रकवा 0. 6 है0, 4324 रकवा 0.22 है0, 4225 (4325) रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0, कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 में वादी का **सुन्दर पुत्र धन्या** है। तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट अनुसार **सुन्दर पुत्र धन्या व सुरेश पुत्र धन्ना** एक ही व्यक्ति है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम रामपुरा, मोरडा के खाता संख्या नया 29 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 4229 रकवा 0.08 है0 4230 रकवा 0.10 है0 4303 रकवा 0.41 है0 4304 रकवा 0.22 है0 4305 रकवा 0.22 है0 4306 रकवा 0.16 है0, 4307 रकवा 0.06 है0 4323 रकवा 0.06 है0, 4324 रकवा 0.22 है0, 4225 (4325) रकवा 0.66 है0, 4326 रकवा 0.60 है0, कुल किता 11 कुल रकवा 2.79 है0 में वादी का नाम **सुन्दर उर्फ सुरेश पुत्र धन्या उर्फ धन्ना** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उक्त आदेश में खसरा नं. 4325 रकबा 0.66 को गलती से 4225 टाईप किया गया जिसको 4325 रकबा 0.66 है. पढ़ा जावे।

26/4/26

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली